वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय और लेखा नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2018

एस.ओ.133 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ. डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर. /2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 47 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"निम्नलिखित में से किसी से :–

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)।
2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला कोई समनुषंगी।
4. राईटस् लि., भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
5. पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, पी.एफ.सी.कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी. एफ.सी.सी.एल)।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी लिमिटेड, पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम कम्पनी।"

[एफ.1(8) एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(General Financial & Accounts Rules Division)
NOTIFICATION
Jaipur, August 28, 2018

S.O.133 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, for the existing enteries in column no 3, against serial no 47, the following shall be substituted, namely :-

"From any of the following:-

1. Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)
2. WAPCOS, a public sector enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India.
3. NABCON, a wholly owned subsidiary of NABARD.
4. RITES Ltd., a public sector enterprise under the aegis of Indian Railways, Government of India.
5. PFC Consulting Limited (PFCCL), a Wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (PFC), Government Of India.
6. Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company of NTPC Limited, Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation Limited (REC) and POWERGRID."

[F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.